बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

संख्याः–V / उ0–4–02 / 2016–662 / अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक–05.07.2016 में श्री आनन्द कुमार (मूल कोटि वरीयता क्रमांक–4), अधीक्षक उत्पाद का सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर प्रोन्नति हेतु विचारण के क्रम में, निलम्बन एवं विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण, अभिमत मुहरबंद लिफाफा में सुरक्षित रखा गया था।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–5290 दिनांक–07.10.2017 द्वारा उन्हें 'चेतावनी' देते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी। उक्त संसूचित 'चेतावनी' की प्रविष्टि उनके चरित्र पुस्त में करने के संबंध में विनिर्दिष्ट नही रहने तथा इसके बाद की चरित्र पुस्तियों में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नही पाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 के नियम–14 के आलोक में उक्त 'चेतावनी' का कुप्रभाव प्रोन्नति पर नही पड़ता परिलक्षित पाया गया। फलतः दिनांक 05.07. 2016 को अभिरक्षित मुहरबंद लिफाफा खोला गया।

3. विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा श्री आनन्द कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त पाये जाने पर सहायक आयुक्त उत्पाद के पद पर प्रोन्नति के योग्य पाए जाने की अनुशंसा प्राप्त है। वर्णित स्थिति में मुहरबंद लिफाफा की अनुशंसा के आधार पर श्री आनन्द कुमार को प्रोन्नति के योग्य पाया गया है।

4. श्री आनन्द कुमार को उनके कनीय की तिथि से प्रोन्नति की देयता बनती है। भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दिये जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर अग्रत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।

5. अतः श्री आनन्द कुमार, अधीक्षक उत्पाद(मद्य निषेध) (वेतन स्तर–9) को अधिसूचना निर्गत तिथि से सहायक आयुक्त उत्पाद(मद्य निषेध) (वेतन स्तर–11) के पद पर औपबंधिक प्रोन्नति दी जाती है। प्रोन्नत पद का आर्थिक लाभ, प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21.2.19

(कृष्ण कुमार वर्मा)
सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– V / उ0–4–02 / 2016 – 662 पटना, दिनांकः– 21.02.19

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / ई गजट कोषांग, वित्त विभाग पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशन के लिए प्रेषित।

21.2.19

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– V / उ0–4–02 / 2016 - 662 पटना, दिनांकः– 21.02.19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रेषित।

21.2.19

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– V / उ0–4–02 / 2016 - 662 पटना, दिनांकः– 21.02.19

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव / विभाग के सभी पदाधिकारी (उत्पाद) / सभी समाहर्त्ता / सभी उपायुक्त मद्य निषेध / सभी सहायक आयुक्त मद्य निषेध / सभी अधीक्षक मद्य निषेध / श्री आनन्द कुमार, प्रभारी सहायक आयुक्त मद्य निषेध, रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.2.19

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।